महिला विकास निगम, बिहार

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार ने विकास के संदर्भ में महिलाओं के समेकित सशक्तिकरण और विकास को राज्य कार्ययोजना में महत्वपूर्ण स्थान दिया है और विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को जोड़ते हुए सुदीर्घ और प्रभावी कार्यक्रम को राज्य की नीति के रूप में स्वीकार किया है। इसके लिए महिलाओं एवं किशोरियों के विकास के विभिन्न आयामों को कार्यरूप देने, सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के सफल कार्यवयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा आवश्यक तकनीकी सहयोग हेतु महिला विकास निगम, बिहार का निबंधन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1861 की धारा 21 अन्तर्गत दिनांक 28 नवम्बर, 1991 को हुआ है। महिला विकास निगम, बिहार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण है। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण अधिनियमों यथाः घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 आदि एवं राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015 का कार्यान्वयन राज्य में महिला विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। सरकार की जेंडर संवेदी नीतियों के निर्माण से लेकर उनके कार्यान्वयन में निगम ने अपने समर्पित और व्यावसायिक व्यवहार का परिचय दिया। आज निगम एक स्वत्रंत और मजबूत छवि वाले सरकारी उपक्रम के रूप में अपनी कुशल व्यावहारिक पहचान को स्थापित कर चुका है।